मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 9-5/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—परिवार पेंशन हेतु प्रपत्र 42 "ए" के संबंध में.

मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1976 के नियम 77 (iv) के अंतर्गत मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 374 में वर्णित परिवार पेंशन हेतु निर्धारित प्रपत्र MPTC-42-ए में संबंधित आवेदक को बैंक/कोषालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है.

2. परिवार पेंशन प्रारंभ करने के लिये परिवार पेंशन के व्यक्तिगत विवरण, जिसमें उसके पहचान चिन्ह, नमूना हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, जन्मतिथि/उम्र का प्रमाणिक दस्तावेज पीपीओ में संयुक्त छाया चित्र (फोटो) एवं अधिक भुगतान की वसूली संबंधी घोषणा पत्र प्रपत्र 42-ए के साथ बैंक में प्रस्तुत किया जाना होता है. बैंक में संयुक्त खाता खुलवाते समय पहचान हेतु छाया चित्र (फोटो) आयु, नमूना हस्ताक्षर, पहचान चिन्ह, पता आदि के दस्तावेज के. वाई. सी. (Know Your Customer) (अपने ग्राहक को जानो) योजना के तहत प्राप्त किये जाते हैं जिससे पेंशनर की पूर्ण पहचान सुनिश्चित हो जाती है. अत: बैंक में संयुक्त खाता संधारित होने की स्थिति में परिवार पेंशनर प्रारंभ करने के लिए बैंक में MPTC-42-ए प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त की जाती है.

3. सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन भुगतान हेतु पति/पत्नि के संयुक्त बैंक खाते के न खुले होने की स्थिति में उन परिवार पेंशनर के मामले में प्रक्रिया पूर्ववत ही रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.